हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.22/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की त..ल में जारी हुए

20.5.2022

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी धर्माराम माली पुत्र श्री ओबाराम, जाति– माली, निवासी– हस्तिनापुर माताजी गली, कालन्द्री, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म रॉयल जनरल स्टोर, विवेकानन्द चौराहा, कालन्द्री, जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी ललित कुमार माली पुत्र भीमाराम माली, निवासी– सादुलपुरा कॉलोनी, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अर्बुदा मार्केटिंग, सार्दुलपुरा, सिरोही, जिला– सिरोही ने दिनांक 17.5.2022 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत कर स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया।

प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 17.5.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रतिवादीगण को दिनांक 17.5.2022 को ही सुना गया। जिन्होनें जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 25.3.2021 को समय 4.15 पी.एम. पर फर्म रॉयल जनरल स्टोर, विवेकानन्द चौराहा, कालन्द्री, जिला– सिरोही पर गये। वहां खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी धर्माराम माली पुत्र ओबाराम माली, जाति– माली, निवासी– हस्तिनापुर माताजी गली, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (ऐवरी ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ घी (ऐवरी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता धर्माराम माली को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ घी (ऐवरी ब्राण्ड) के 28 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 5[illegible] मि.ली.) में से [illegible] के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 मि.ली.) क्रय [illegible] उसकी कीमत राशि रुपये 760/– [illegible] अदाकर खरीद रसीद [illegible] सुरक्षा अधिकारी ने लेबलों प[illegible] कोड एवं क्रमांक,

....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:16:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जजे **F.S.S.Act Case No.22/2022**	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता धर्माराम माली एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (ऐवरी ब्राण्ड) के चारों पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना जारों को अलग–अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप S-1388 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं के कब्जे में लेकर मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता धर्माराम माली, उक्त गवाह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर–6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 26.3.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 25.3.2021 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म रॉयल जनरल स्टोर, विवेकानन्द चौराहा, कालन्द्री, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता धर्माराम माली से खाद्य पदार्थ घी (ऐवरी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जाँच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक ... खाद्य पदार्थ घी (ऐवरी ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1388 ... द्वारा जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./256/Act/2021/354 दिनांक 08.4.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (ऐवरी ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1388 अमानक (Sub-standard) पाया गया है, जो खाद्य

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:16:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.22/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी धर्माराम माली की फर्म रॉयल जनरल स्टोर, कालन्द्री द्वारा खाद्य पदार्थ घी (ऐवरी ब्राण्ड) के पैक्ड पैकेटो को फर्म अर्बुदा मार्केटिंग, सार्दुलपुरा कॉलोनी, सिरोही, जिला– सिरोही से बिल नम्बर 21 दिनांक 22.3.2021 से क्रय किये थे, जो प्रतिवादी ललित कुमार माली की फर्म है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी ललित कुमार माली ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ घी (ऐवरी ब्राण्ड) की खरीद के संबंध में कोई बिल प्रस्तुत नही किया एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में, अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (ऐवरी ब्राण्ड) के विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 के अनुसार प्रतिवादी ललित कुमार माली दोषी है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी धर्माराम माली को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (ऐवरी ब्राण्ड) के विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी ललित कुमार माली पुत्र भीमाराम माली, निवासी– सार्दुलपुरा कॉलोनी, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अर्बुदा मार्केटिंग सार्दुलपुरा, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी ललित कुमार माली को आदेशित किया जाता है कि उस पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (Adjudicating officer & Additional District Magistrate, Sirohi) के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना [illegible].2022 को पेश हो। (के.आर.[illegible]) अति. जिला [illegible] सिरोही–307001. Signature Not Verified Digitally signed by Kalu Ram Khod Date: 2022.06.06 18:16:59 IST Reason: SelfAttested	